



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज
कलैक्ट्रेट परिसर, सोरों रोड़ प्रहलादपुर, कासगंज, 207123



पत्रांक 3051/पेपर कटिंग सूचना/13

दिनांक :-18.09.2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय— दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 18.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक समाचार “नलों से बह रहे सूखे दावे” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 18.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक समाचार “नलों से बह रहे सूखे दावे” खबर प्रकाशित की आख्या।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत म्यासुर में जल जीवन मिशन (फेज-2) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना निर्माणाधीन है। पेयजल योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय क्षमता 01 नग (250 कि०ली०/14 मी०), 01 नग पम्पहाउस, 01 नग वाउन्ड्रीवॉल, 08.92 किमी० वितरण प्रणाली तथा 744 नग गृह पेयजल संयोजन के सापेक्ष शिरोपरि जलाशय स्टेजिंग तक, 01 नग पम्प हाउस पूर्ण, 01 नग वाउन्ड्रीवॉल पूर्ण, 08.92 किमी० वितरण प्रणाली तथा 338 नग गृह पेयजल संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पेयजल योजना से सीधे पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है लेकिन लीकेज के कारण वर्तमान में जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित हो गयी थी। लीकेज मरम्मत का वर्तमान में प्रगति पर है। जिसे शीघ्र ही पूर्ण कराकर जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दी जायेगी। पाइप लाइन ज्योटींग व टेस्टिंग एवं बाल्व फिक्सिंग का कार्य प्रगति पर है तथा सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुछ जगह जल भराव के कारण रोड़ सेटलमेंट हो गया है। जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में अवर जलाशय का कार्य प्रगति पर है। योजना के समस्त कार्य मार्च-2027 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।



भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं का आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (आ०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी महोदय, कासगंज।
4. पी०एन०सी० एस०पी०एम०एल (जे०वी०), आगरा।
5. परियोजना प्रबंधक, पी०एन०सी० एस०पी०एम०एल (जे०वी०), कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अवशेष कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता